भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 614
(29 नवंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं

614. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पृथक वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत आसपास के जिलों को भी सड़कें उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी और उन निकटवर्ती जिलों का ब्यौरा क्या है जहां आंध्र प्रदेश में सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(ङ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए संशोधित सांकेतिक आवंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) को सीसीईए के अनुमोदन से वर्ष 2016 में शुरू किया गया था , जिसका उद्देश्य 9 राज्यों आंध्र प्रदेश , बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 44 जिलों और समीपवर्ती जिलों में सड़क संपर्कता में बढ़ाना था। इस योजना का दोहरा उद्देश्य सुरक्षा

बलों के निरंतर और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता करना तथा क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना है।

राज्य के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों अर्थात् श्रीकाकुलम , पार्वतीपुरम मन्यम, अल्लूरी सीताराम राजू और काकीनाडा जिलों के लिए 1,558 किलोमीटर लंबाई की कुल 194 सड़कें और 45 लो स्पैन ब्रिज (एलएसबी) स्वीकृत किए गए हैं , जिनमें से राज्य द्वारा 1,168 किलोमीटर लंबाई की 154 सड़कें और 28 एलएसबी का निर्माण पहले ही पूरे कर लिया गया हैं।

आरसीपीएलडब्ल्यूईए द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च , 2025 तक है और आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना के तहत मंजूरी के लिए किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ): 2024-25 के दौरान, स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को 150 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है और 36.66 करोड़ रुपये (दिनांक 25-11-2024 की स्थिति के अनुसार) जारी किए जा चुके हैं।

***